महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ

(स्वायत्त) (ISO ९००१:२०१५) (ISO/IEC २७००१:२०१३)

शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४ था मजला, ४९, खेरवाडी, वांद्रे (पूर्व),मुंबई – ४०० ०५१

दू.क्र.: ०२२-६२५४२१००/१५१/१६०

web : www.msbte.org.in email : director@msbte.com

जा.क्र.मरातंशिमं/का-५४/ GRC/२०२२/ 5850 दिनांक 26 SEP 2022

महत्वाचे परिपत्रक

प्रति,

प्राचार्य,

मंडळाशी संलग्नित सर्व विनाअनुदानीत संस्था.

विषय- विनाअनुदानीत संस्थेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या तक्रार निवारणाबाबत.

संदर्भ- १. AICTE Notification F No.1-103/AICTE/PGRC/Regulation/2021 दि. 22/03/2021.
२. नियामक मंडळाच्या ५३ व्या बैठकीत झालेला निर्णय.

उपरोक्त विषयाबाबत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी संदर्भ क्र. १ अन्वये "All India Council for Technical Education (Redressal of Grievance of Faculty / Staff member) Regulations,२०२१" जारी केलेले आहेत. सदर Regulations मध्ये संस्थास्तरावरील तक्रार निवारण समितीची रचना, तक्रारीचे स्वरूप तसेच तक्रार निवारणाबाबतचे निर्देश नमूद केलेले आहेत. तसेच तक्रारदार तक्रार निवारण समितीच्या आदेशावर समाधानी नसेल तर तो अपिलीय समितीकडे अपिल करू शकतो, असेही नमूद केले आहे.

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या सदर Regulations लागू करणेबाबतची बाब संदर्भ क्र. २ अन्वये मंडळाच्या ५३ व्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत ठेवली असता त्यावर चर्चा होऊन नियामक मंडळाने खालील प्रमाणे तक्रार निवारण समिती व अपिलीय समिती स्थापन करण्यास मान्यता देऊन अंमलबजावणी करणेबाबतचे निर्देश दिले आहेत.

त्यानुसार संस्थास्तरावरील तक्रार निवारण समितीची (Grievance Redressal Committee-GRC) रचना खालील प्रमाणे आहे.

संस्थास्तरावरील तक्रार निवारण समिती	पदनाम
प्राचार्य, संबंधित संस्था.	अध्यक्ष
सहाय्यक संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संबंधित विभागीय कार्यालय.	सदस्य
सहाय्यक सचिव, मंडळाचे संबंधित विभागीय कार्यालय.	सदस्य
संबंधित संस्थेतील एक वरिष्ठ विभाग प्रमुख अथवा निवड श्रेणी अधिव्याख्याता.	सदस्य सचिव

तक्रारदाराने त्याची तक्रार संबंधित संस्थेच्या प्राचार्याकडे तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष म्हणून सादर करावी. संस्थास्तरावरील तक्रारीचे निवारण उपरोक्त् समितीमार्फत तक्रार प्राप्त् झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत करण्यात यावे. तसेच तक्रार निवारण समितीने पारित केलेला आदेश तक्रारदारास मान्य् नसल्यास व त्यास आव्हान करावयाचे असल्यास समितीच्या आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून १५ दिवसात अपिलीय समितीकडे अपिल करता येईल.

विभागीय स्तरावरील अपिलीय तक्रार निवारण समितीची रचना खालील प्रमाणे आहे.

अपिलीय समिती	पदनाम
उपसचिव, मंडळाचे संबंधित विभागीय कार्यालय.	अध्यक्ष
सहाय्यक संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संबंधित विभागीय कार्यालय.	सदस्य
शासकीय तंत्रनिकेतनाचे प्राचार्य.	सदस्य
सहाय्यक सचिव, मंडळाचे संबंधित विभागीय कार्यालय.	सदस्य सचिव

उपरोक्त प्रमाणे नमूद केल्यानुसार विनाअनुदानित संस्थेतील संस्थास्तरावरील तक्रार निवारण समितीच्या स्थापनेबाबतचे आदेश तात्काळ जारी करावेत व संस्थेच्या संकेत स्थळावर त्यास प्रसिद्धी दयावी. याबाबत संस्थेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना अवगत करावे.

तसेच अपिलीय समितीच्या स्थापनेबाबतचे आदेश मंडळाच्या संबंधित विभागीय कार्यालयाने तात्काळ जारी करावेत. तक्रारदाराच्या अपिलावर अपिलिय समितीने अपिलाबाबतचा अर्ज प्राप्त् झाल्यानंतर जास्तीत जास्त् ३० दिवसाच्या आत त्याचे निवारण करून आदेश जारी करावेत आणि सर्व संबंधिताना आदेशाची प्रत दयावी.

अशाप्रकारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या तक्रारींवर प्रथमत: संस्थास्तरावर कार्यवाही करण्यात यावी. तदनंतर तक्रारदाराकडून अपिल प्राप्त् झाल्यास त्यावर अपिलीय समितीमार्फत कार्यवाही करण्यात यावी.

मंडळाकडे किंवा वरिष्ठ कार्यालयाकडे थेट तक्रार प्राप्त् झाल्यास त्याबाबत मंडळाकडून किंवा वरिष्ठ कार्यालयाकडून कार्यवाही करण्यात येणार नाही याची नोंद घ्यावी.

(डॉ. विनोद म. मोहितकर)
संचालक
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई.

प्रत माहितीकरिता :-
मा. संचालक तंत्रशिक्षण संचालनालय. महाराष्ट्र राज्य मुंबई.

प्रत माहिती व कार्यवाहीकरिता :-
१. सहसंचालक तंत्रशिक्षण संचालनालय विभागीय कार्यालय मुंबई/ पुणे / नाशिक /अमरावती /नागपूर /औरंगाबाद.
२. उपसचिव, मंडळाचे विभागीय कार्यालय मुंबई/ पुणे/ नागपूर/ औरंगाबाद.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032021-226122
CG-DL-E-25032021-226122

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 2021/चैत्र 4, 1943
No. 119] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 2021/CHAITRA 4, 1943

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2021

फा. सं. 1–103/अभातशिप/पीजीआरसी/विनियम/2021.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है, यथा :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ :

क. इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (संकाय/स्टॉफ सदस्यों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2021 है।

ख. ये विनियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10(ट) के अधीन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान की गई अथवा अनुमोदित की गई सभी तकनीकी संस्थाओं पर लागू होंगे।

ग. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य :

किसी भी संस्था में पहले से नियुक्त और साथ ही ऐसे संस्थान में नियुक्ति पाने की आकांक्षा रखने वाले संकाय/स्टॉफ सदस्यों की कतिपय शिकायतों के निवारण के लिए अवसर प्रदान करना, इस संबंध में एक तंत्र स्थापित करना।

3. परिभाषा : इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "अधिनियम" से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 अभिप्रेत है ;

(ख) "परिषद" से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है ;

(ग) "यूजीसी" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा अथवा इसके अंतर्गत स्थापित अथवा शामिल संस्थाएं हैं तथा जिसमें यूजीसी अधिनियम 1956 के खण्ड 3 के अंतर्गत घोषित की गई मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं भी शामिल हैं।

(ङ) "राज्य" का अभिप्राय संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य से है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं ;

(च) "तकनीकी शिक्षा" से अभिप्रेत, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 2(छ) के अंतर्गत परिभाषित शिक्षा कार्यक्रमों से है।

(छ) "तकनीकी संस्था" से अभिप्रेत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 की धारा 2(ज) के अंतर्गत परिभाषित संस्था से है।

(ज) "पीड़ित संकाय/स्टॉफ सदस्य" से अभिप्रेत किसी ऐसे संकाय/स्टॉफ सदस्य से है, जिसे इन विनियमों के तहत परिभाषित शिकायतों के संबंध में किसी मामले अथवा तत्संबंधी किसी मामले में कोई शिकायत हो।

(झ) "शिकायत" का अभिप्राय, और इसमें निम्नवत् के संबंध में किसी पीड़ित संकाय/स्टॉफ सदस्य(यों) द्वारा की गई शिकायत(तें) शामिल हैं, नामत :–

i. किसी संकाय/स्टॉफ सदस्य द्वारा ऐसे संस्थान में नियुक्ति लेने के प्रयोजन से जमा किए गए अपने किसी दस्तावेज जोकि डिग्री प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, अनुभव प्रमाणपत्र, कार्यमुक्ति आदेश अथवा किसी अन्य पुरस्कार के प्रमाणपत्र के रूप में अथवा अन्य दस्तावेज हों, को अपने पास रख लेना, या वापस करने से इंकार करना ;

ii. सेवारत होने या सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र जैसा भी मामला हो, के दौरान वेतन/मजदूरी और/अथवा लाभ या किसी भी अन्य भत्ते या देय राशि आदि का भुगतान न करना ;

iii. उनके वेतन और/अथवा लाभ तथा समान वेतन/पदनाम/अनुभव में अन्य स्टॉफ कर्मचारियों के बीच विसंगतियां ;

iv. कोई कारण अथवा नोटिस अथवा ज्ञापन दिए बिना सेवा–समाप्ति ;

v. त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति पर लागू, सरकार के नियमों के अनुसार अधिवर्षिता राशि का भुगतान न करना ; तथा

vi. कोई अन्य देयता जो उनकी सेवा से सीधे जुड़ी हुई है और वित्तीय हानि या किसी नुकसान या आघात का कारण बनती है।

(ञ) शिकायत निवारण समिति" (जीआरसी) से अभिप्राय इन विनियमों के तहत गठित किसी समिति से है।

4. शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) :

(i) सभी तकनीकी संस्थानों के लिए अनिवार्य है कि वे संस्थान स्तर पर ही सेवा मामलों सहित संकाय/स्टॉफ सदस्यों की शिकायत का समाधान करें। प्रत्येक संस्था द्वारा संकाय/स्टॉफ सदस्यों की शिकायत को देखने के लिए संकाय/स्टॉफ सदस्यों हेतु एक शिकायत निवारण समिति गठित की जाएगी। शिकायत निवारण समिति का संघटन निम्नानुसार होगा :–

क. संस्थान के प्राचार्य – अध्यक्ष

ख. संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय का एक वरिष्ठ प्रोफेसर – सदस्य के रूप में,

ग. राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशालय अथवा विश्वविद्यालय से एक कार्मिक (जिसे राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशक/विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामांकित किया जाएगा) – सदस्य,

घ. एक वरिष्ठ संकाय सदस्य (जोकि एसोसिएट प्रोफेसर से नीचे के रैंक का ना हो) – सदस्य के रूप में।

(ii) पीड़ित संकाय/स्टॉफ सदस्यों द्वारा संस्थान के संबंध में की जाने वाली शिकायत, अध्यक्ष, शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) को संबोधित होनी चाहिए।

(iii) जीआरसी अपनी रिपोर्ट को अपनी सिफारिशों सहित, यदि कोई हों तो, के साथ शिकायत प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशक अथवा विश्वविद्यालय को भेजेगी तथा इसकी एक प्रति पीड़ित संकाय/स्टॉफ सदस्य को भी भेजी जाएगी।

(iv) यदि संकाय/स्टॉफ सदस्य शिकायत निवारण समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वे संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय/राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशालय से अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अपील कर सकते हैं।

5. विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर अथवा तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीई) स्तर पर गठित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ ऐसी शिकायतों को देखेगा तथा मामले को राज्य/विश्वविद्यालय स्तर पर सुलझाएगा।

6. शिकायत निवारण समिति के बारे में जानकारी :

संस्था को शिकायत निवारण समिति के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी जोकि इसके दायरे में आती हैं, को संस्था की वेबसाईट पर प्रमुखता से प्रस्तुत करना होगा।

प्रो. राजीव कुमार, सदस्य–सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./558/2020–21]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2021

F. No. 1-103/AICTE/PGRC/Regulation/2021.—In exercise of the power conferred under clause (1) of Section 23 of the All India Council for Technical Education, Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education makes the following Regulations, namely:

1. **SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT:**

   a. These Regulations shall be called as the **All India Council for Technical Education (Redressal of Grievance of Faculty/Staff Member) Regulations, 2021**.

   b. They shall apply to all Technical Institutions recognized or approved by the All India Council for Technical Education as per Section 10(k) of the All India Council for Technical Education Act, 1987.

   c. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **OBJECTIVE:**

   To provide opportunities for redressal of certain grievances of Faculty/Staff Members already appointed in any institution, as well as those seeking appointment to such institutions, and a mechanism thereto.

3. **DEFINITION: IN THESE REGULATIONS, UNLESS THE CONTEXT OTHERWISE REQUIRES:**

   (a) "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987;

   (b) "Council" means the All India Council for Technical Education

   (c) "UGC" means University Grants Commission

   (d) "University" means a university established or incorporated by or under a Central Act or State Act and includes an institution deemed to be university declared as such under section 3 of the UGC Act, 1956.

   (e) "State" means a State specified in the First Schedule to the Constitution of India and includes a Union territory;

   (f) "Technical Education" means programs of education as defined under section 2(g) of the All India Council for Technical Education, Act, 1987;

   (g) "Technical Institution" means an Institution as defined under section 2(h) of the All India Council for Technical Education, Act, 1987;

   (h) "aggrieved Faculty/Staff Member" means a Faculty & Staff Member, who has any complaint in the matters relating to or connected with the grievances defined under these Regulations.

   (i) "Grievance" means and includes, complaint(s) made by an aggrieved Faculty/Staff Member(s) in respect of the following service related matters namely:

      i. withholding of, or refusal to return, any document in the form of certificates of degree, diploma, experience certificate, relieving order or any other award or other document deposited for the purpose of seeking appointment in such institution;

      ii. non-payment of salaries/wages and/or benefits or any other allowances or dues etc. during services or retirement/resignation, as the case may be;

      iii. Discrepancies between their wages and/or benefits and other members of staff in similar roles/post/experience.

      iv. termination without giving any reason or notice or memorandum;

      v. non-payment of gratuity amount as per prevailing Govt. rules in force on resignation/ retirement; and

vi. any other liability which is directly connected with their service and causing financial loss or any harm or trauma.

(j) "Grievance Redressal Committee" means a Committee constituted under these Regulations;

4. **GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE (GRC):**

(i) It is mandatory for all Technical Institutions to address the grievance of faculty/staff members including service matters at the Institution level itself. A Grievance Redressal Committee (GRC) for faculty/staff members shall be constituted by each Institution to look into the grievance of the faculty/staff members. The composition of the GRC shall be as follows:

a. Principal of the Institution as Chairperson

b. One Senior Professor of the affiliating University as a Member,

c. One Official from University or State DTE (Directorate of Technical Education) (to be nominated by DTE/University Vice Chancellor) as Member,

d. One Senior Faculty (not below Associate Professor) as Member.

(ii) A complaint from an aggrieved faculty/staff member relating to the institution shall be addressed to the Chairperson, Grievance Redressal Committee (GRC).

(iii) The GRC shall send its report with recommendations, if any, to the concerned DTE or University and a copy thereof to the aggrieved faculty/staff member, within a period of 15 days from the date of receipt of the complaint.

(iv) In case faculty/staff is not satisfied with the decision of Grievance Redressal Committee, they may appeal to the concerned affiliating University/State DTE (in case of diploma institutes) for redressal of their grievances.

5. The University level or DTE level Grievance Redressal Cell established by the University or DTE shall address such grievances and settle the matter at State/University level.

6. **INFORMATION REGARDING GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE:**

An institution shall furnish, prominently, on its website, all relevant information in respect of the Grievance Redressal Committee(s) coming in its purview.

Prof. RAJIVE KUMAR, Member-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./558/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR